न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 224/2019

आरसीएमएस नं. 2019/224

मनीराम पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी भोमपुरा तहसील व जिला हनमानगढ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. लालचन्द पुत्र श्री रामरख जाति जाट निवासी भोमपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, हनुमानगढ।

—रेस्पोडेण्ट

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ
दिनांक 09.09.2019 प्रकरण संख्या 299/2018

अनवान मनीराम बनाम लालचन्द आदि
श्री राजेश दीपराय अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री बलराम भिडासरा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1
श्री रविंद्र कुमार भोबिया अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 2

निर्णय दिनांक 3.3.2023

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 आरटीएक्ट के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसमें कथन किया कि प्रश्नगत चक 15

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

ऐ.जी. के खाता संख्या 95/94 की 7.198 है0 व चक नं. 1 ए.एम. की 4.175 है0 अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज है। प्रश्नगत भूमि पैतृक भूमि होने के कारण प्रार्थी का जन्म से 1/8 हिस्सा का हक अधिकार है तथा संयुक्त रूप से प्रार्थी का कब्जा कास्त है। अप्रार्थी सं0 1 प्रतिवादी संख्या 2 के नाजायज दवाब में है, जिसमें प्रश्नगत भमि में से 2.479 है0 कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 2 के बेटे के नाम से जरिये उपहार पत्र फरोख्त कर दी तथा शेष बची हुई कृषि भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर अन्य व्यक्तियों को फरोख्त करना चाहता है। यदि अप्रार्थी सं0 1 उपरोक्त कृत्य में कामयाब हो जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगीं प्रार्थी ने प्रश्नगत भूमि को रहन बैय व अन्तरण न करने तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने का अनुतोष मांगा। अप्रार्थी से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रश्नगत भूमि को अपनी स्वअर्जित भूमि होने का कथन करते हुए प्रार्थी का कोई हक हिस्सा नहीं होने का कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र खारिज करने का कथन किया। विचारण न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

2. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत समस्त भूमि पर स्थगन जारी न कर अहम भूल की है। प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट के दादा रामरख की थी जिसके फौत होने के बाद विरास्तन रेस्पोडेण्ट सं0 1 के नाम दर्ज हुई। इस संबंध में गांव की जमाबंदी व पर्चा खतौनी की नकल प्रस्तुत की थी तथा रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अपने जवाब में उपरोक्त भूमि अपीलांट के दादा की होना व 1955 से पूर्व की होने का कथन किया है। अपीलाण्ट ने स्पष्ट कथन किया है कि प्रश्गनत भूमि पैतृक सम्पति है तथा रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने उपरोक्त प्रश्नगत भूमि में से 2.479 है0 कृषि भूमि का उपहार पत्र करवा दिया है जो प्रारम्भतः ही शून्य दस्तावेज है। इस सम्बन्ध में कानूनन पैतृक सम्पति का उपहार पत्र अन्य सहदायिक की

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

सहमति से नही हो सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 सं0 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि में 1/8 हिस्सा तक की भूमि के सम्बन्ध में स्थगन जारी कर प्रकार से उपरोक्त भूमि को पैतृक सम्पति होना मान लिया लेकिन समस्त भूमि पर स्थगन जारी न कर अहम भूल की है। अपीलाट व रेस्पोडेण्ट के मूल अधिकार मूल वाद में तैय होना। यदि समस्त भूमि पर स्थगन जारी नही किया जाता तो अपीलाण्ट को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थना–पत्र में भूमि के संयुक्त कब्जा होने की कथन किये हैं मगर विचारण न्यायलाय ने इस संबंध में कोई विवेचना नहीं की न ही इस संबंध में कोई आदेश पारित किया है। अपीलाधीन निर्णय का अपलाण्ट को ज्ञान नहीं था ज्ञान होते ही अपील पेश कर दी है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

3. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वादी के दादा के नाम सन 1955 से पूर्व की थी जिसका मालिक वादी के दादा न होकर सरकार थी। उक्त भूमि अप्रार्थी को दिनांक 04.07.1984 को कीमत आवंटन हुई थी और सनद भी अप्रार्थी के नाम जारी हुई थी। वादग्रस्त भूमि स्वअर्जित है इसलिए प्रार्थी का इसमें जन्म से हक व हिस्सा नहीं बनता। प्राथी अप्रार्थी का पुत्र है। वह जरिये वाद पत्र उक्त जमीन में अपना 1/8 हिस्सा यानि 6.00 बीघा मानता है। अप्रार्थी ने 15 बीघा जमीन दे रखी है। अप्रार्थी ने वादी व प्रतिवादी नं0 2 को कहा था कि आप दोनों 10–10 बीघा अपने नाम लगवा लो कहने पर प्रतिवादी नं0 2 ने 10 बीघा जमीन अपने पुत्र के नाम करवाने का कहा तो अप्रार्थी ने 10 बीघा प्रतिवादी नं0 3 विनोद कुमार को उपहार पत्र पंजीयन करवा दिया और वादी 10 बीघा अपने नाम करवाने से इन्कार हो गया। अप्रार्थी अपनी जमीन अपने पुत्रों के अलावा किसी को नहीं देना चाहता है। जमीन स्वअर्जित होने कारण अपीलांट का इसमें कोई हक व हिस्सा नहीं है फिर भी अपलाण्ट ने अपने हक व हिस्सा से ज्यादा जमीन 15 बीघा दे रखी है। प्रार्थी का अगर हक मान भी लिया जावे

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

तो उसके हिस्से में मात्र 6 बीघा जमीन है अप्रार्थी उसके नाम 10 बीघा जमीन करवाना चाहता है, जिस प्रकार भी उसके नाम हो सकती है करवाने को तैयार है प्रार्थी ने दावा व दरख्वास्त नासमझी में व गलत बहकावे में आकर पेश की है ताकि की अप्रार्थी की बदनामी हो सके। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2019 (1) पेज 291, सीसीसी 2008 (4) पेज 107 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

4. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया

5. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

6. अधीनस्थ न्यायालय में खाता विभाजन का वाद विचाराधीन है। अपीलांट एवं रेस्पोडेण्ट के मध्य चक 15 ए. जी. खाता संख्या 95/94 में वर्णित समस्त आराजी 7.198 है0 व चक 2 ए.एम. के खाता संख्या 50/42 में वर्णित कुल 4.775 है0 में से के हक हिस्से को लेकर विवाद है। प्रश्नगत भूमि पैतृक सम्पति है अथवा नहीं, अपीलाट का वादग्रस्त भूमि में हक हिस्सा है अथवा नहीं, हक हिस्सा है तो कितना हक हिस्सा है यह मूल वाद में तय होना। इस बीच यदि प्रश्नगत भूमि को रहन बैय कर दिया जाता है तो पक्षकारों के मध्य वाद की बहुलता होगी। इसलिए प्रकरण में समस्त भूमि पर स्थगन आदेश जारी किया जाना उचित है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.09.2019 अपास्त किया जाता है एवं अपीलाण्ट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पूर्ण रूप से स्वीकार करते हुए रेस्पोडेण्ट सं0 1 के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है रेस्पोडेण्ट सं0 1 चक 15 ए. जी. खाता संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

95/94 में वर्णित 7.198 है0 व चक 2 ए.एम. के खाता संख्या 50/42 में वर्णित कुल 4.175 है0 भूमि को रहन बैय व अन्तरण नहीं करें एवं मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 3.3.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3/3/23

(करतार सिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner